Phone :- 0755-2553731
E-mail:- mpayunboard71@gmail.com

म.प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड,
Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

5/41, बेतवा अपार्टमेन्ट, रोशनपुरा नाका, न्यू मार्केट, भोपाल- 462003

भोपाल दिनांक 13/02/19

क्रमांक / जॉच / शिका. / 787 / 2019

रजिस्टर्ड डाक

प्रति,

समस्त जिला आयुष अधिकारी,
जिला–.........................., म.प्र.

विषय :– मध्यप्रदेश में अयोग्य, नकली एवं अपंजीकृत चिकित्सकों के पंजीयन की जॉच करने हेतु जिला स्तर पर जॉच दल का गठन बाबत्।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग, वल्लभ भवन भोपाल का पत्र कमांक / 73 / 3086 / 2018 / 1 / 59, भोपाल दिनॉक 04 जनवरी, 2019 एवं कार्यालय पत्र कमांक / जॉच / 587 / 2019 भोपाल दिनॉक 25.01.2019

----000----

उपरोक्त संदर्भित पत्रांक के विषयान्तर्गत लेख है उक्त शासन आदेश के माध्यम से मध्यप्रदेश के ऐसे नकली / अयोग्य एवं अपंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ जांच करने हेतु जिला स्तर पर पदस्थ जिला आयुष चिकित्सा अधिकारी एवं जिलें में पदस्थ एक वरिष्ठ आयुष चिकित्सा अधिकारी का जॉच दल गठित करने हेतु लेख किया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के अभ्यासी (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार संहिता के मानकों) विनियम 1982 **{Practitioners of Indian Medicine (Standards of Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982}** के भाग चार नियम 24 के तहत विज्ञापन के माध्यम से चिकित्सा व्यवसाय किया जाना वर्जित है।

यदि कोई चिकित्सक विज्ञापन के माध्यम से चिकित्सा व्यवसाय करते हुए पाया जाता है तो उसकी सूची तैयार की जाकर बोर्ड को सूचित करें।

13/02/19
(डॉ. वन्दना बोराना)
रजिस्ट्रार

Letter Complent